राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमॉकः–एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/254 दिनांकः– 02.04.2025

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त/उप निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त।
2. आयुक्त, नगर निगम एवं
जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
समस्त।

विषयः सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट अस्पतालों (सूचक के रूप में) सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की समस्त घटनाओं की ससमय रिपोर्टिंग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत, जीवनांक प्रभाग (सी.आर.एस.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र सं० 11/04/2020–VS (CRS) दिनांकित 17–03–2025 (प्रति संलग्न) को, जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के शत प्रतिशत पंजीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु परिचालित किया गया है :–

1. सभी सरकारी अस्पतालों को अपने संस्थान में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को 21 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने हेतु निर्देशित करें।
2. सभी प्राइवेट अस्पतालों को उनके संस्थान में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को 21 दिन के अंदर संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किए जाए कि नवजात/मृतक के परिजनों को स्वयं से घटना का पंजीकरण करने हेतु रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए न कहा जाये।
3. सभी रजिस्ट्रारों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाये कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी प्राइवेट अस्पताल सूचक के रूप में दर्ज हो एवं अस्पताल में होने वाली घटनाओं को 21 दिन कि अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करें। साथ ही, सभी जिला रजिस्ट्रार यह पंजीकरण ईकाईवार प्राइवेट अस्पतालों की सूची संधारित करें, जिससे कि सभी संस्थागत घटनाओं की रिपोर्टिंग की पूर्ण रूप से मॉनीटेरिंग की जा सके।

RajKaj Ref No.: 14522735

4. समस्त रजिस्ट्रार को यह निर्देशित किया जाये कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करें एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 12 की अनुपालना में, पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिकतम 7 दिनों के अंदर सूचना प्रदाता को जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करें।
5. सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट अस्पतालों (सूचक के रूप में) सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का 21 दिन की निर्धारित अवधि में रिपोर्टिंग/पंजीकरण को अंतर्विभागीय समन्वय समिति (IDCC) एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक में विचारणीय बिन्दु के. रूप में शामिल किया जाए, जिससे पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की समस्त घटनाओं की ससमय रिपोर्टिंग हेतु जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सकें।
6. उल्लेखनीय है कि विगत IDCC बैठक दिनांक 26.12.2024 में भी उपरोक्त बिन्दुओं पर व्यापक विमर्श हुआ था एवं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान द्वारा इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने तथा समस्त जिलों से अनुपालना प्रमाण– पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र 2 सप्ताह में भिजवाने का श्रम करावे कि "उनके जिले में सभी प्राइवेट अस्पताल जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु सूचक के रूप में दर्ज है तथा यथालागू नियमित रिपोर्टिंग कर रहे है।"

अतः आपको निदेर्शित किया जाता है कि महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त पत्र के बिन्दुओं की पूर्ण पालना के साथ ही अनुपालना रिपोर्ट का प्रमाण–पत्र 2 सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Document certified by VINESH SINGHVI <Aao.des@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation : Director and Joint Secretary
Date :01-04-2025 06:05:07

RajKaj Ref No.: 14522735